

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(द०आ०-सा०नि०)अनुमान-७  
संख्या- ८ /XXVII(7)34(1) / 2009  
देहरादून : दिनांक १२ अगस्त, २०१६  
प्रियमद्,  
कार्यालय-ज्ञाप

**विषय:-** राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमत्य कि जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अन्त्याधीन स्थावी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-250 /XXVII(7) / 2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमत्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के छह में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमत्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन वा भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोक्ता कार्टिक तथा नियोक्ता के क्षय होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमत्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेरी)

सचिव।

संख्या— १९० / XXVII(7)34(1) / 2009 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड माठ उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।